

5/29/2018

<https://igrs>

, भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक मड़ियाहूं जौनपुर क्रम संख्या 201818

आवेदन संख्या 201800985003626

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2018-05-29 00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम दिलीप कुमार जायसवाल

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश
शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए
शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

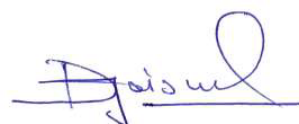
1 से 6 तक का योग 600

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2018-05-29 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-05-29 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर



Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश

DESH

BR 228575

**(ट्रस्ट/ न्यास) प्रपत्र**

1. मैं दिलीप कुमार जायसवाल पुत्र श्री चितरंजन दास ग्राम- मो0 सदरगंज, पोस्ट- मड़ियाहूँ, तहसील-मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर (उ0प्र0) का निवासी हूँ।
श्री चितरंजन दास श्रीमती कमला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट : पता- मो0 सदरगंज, पोस्ट- मड़ियाहूँ, तहसील- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर (उ0प्र0) के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।
2. ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता :-
श्री चितरंजन दास श्रीमती कमला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है।
3. ट्रस्ट/न्यास का नाम: श्री चितरंजन दास श्रीमती कमला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट
4. ट्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता: मो0 सदरगंज, पोस्ट- मड़ियाहूँ, तहसील- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर (उ0प्र0)

590 पीसी 50 25-5-18

दिलीप कुमार जापसबारा पुल चितारंजन दास शास्त्री ० सपर गंगलाडे ०
मोड़पट्टा लोहरा जौनपुर

10
कि.मी. बोनो पीसी



[Signature]

Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228576

2

5. ट्रस्ट (न्यास) का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

6. ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता) :

दिलीप कुमार जायसवाल पुत्र श्री चितरंजन दास निवासी मोहल्ला सदरगंज,
पोस्ट- मड़ियाहूँ, तहसील- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर (उ०प्र०)।

7. ट्रस्टी/न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का नाम व पद :

सुनील कुमार जासवाल (अध्यक्ष), अनिल कुमार जायसवाल (उपाध्यक्ष),
दिलीप कुमार जायसवाल (प्रबन्धक), राजकुमार जायसवाल (उपप्रबन्धक),
प्रदीप कुमार जायसवाल (कोषाध्यक्ष), सृजन जायसवाल (सचिव)

8. न्यासधारी (ट्रस्टी) :

श्री चितरंजन दास श्रीमती कमला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट मोहल्ला सदरगंज,
पोस्ट/तहसील- मड़ियाहूँ, जनपद- जौनपुर (उ०प्र०)।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

5/29/2018

पृष्ठ क्र. 52

क्र. 591 ... 50 ... 25-5-18

क्र. 590 ... न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क - 100 बाजरी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री दिलीप कुमार जायसवाल ,
पुत्र श्री चितरंजन दास
व्यवसाय : कृषि
निवासी : सदरगंज, कस्बामडियाह, प० त० मडियाह, जौनपुर

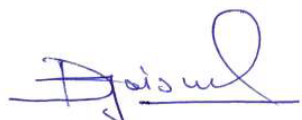


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/05/2018 एवं 12:28:51 PM बजे
नियंन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबंधक-मडियाह
जौनपुर




Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228577

3

9. उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये-

क्र०	नाम ट्रस्टी	पिता का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1	सुनील कुमार जायसवाल	श्री चितरंजन दास	अध्यक्ष	व्यापार	मो०-सदरगंज, मडियाहूँ, जिला- जौनपुर
2	अनील कुमार जायसवाल	श्री चितरंजन दास	उपाध्यक्ष	व्यापार	मो०-सदरगंज, मडियाहूँ, जिला- जौनपुर
3	दिलीप कुमार जायसवाल	श्री चितरंजन दास	प्रबन्धक	शिक्षण कार्य	मो०-सदरगंज, मडियाहूँ, जिला- जौनपुर
4	राजकुमार जायसवाल	श्री चितरंजन दास	उपप्रबन्धक	केन्द्रीय कर्मचारी	मो०-सदरगंज, मडियाहूँ, जिला- जौनपुर
5	प्रदीप कुमार जायसवाल	श्री चितरंजन दास	कोषाध्यक्ष	व्यापार	मो०-सदरगंज, मडियाहूँ, जिला- जौनपुर
6	सुजन जायसवाल	श्री भरत कुमार	सचिव	शिक्षा	सदरगंज-मडियाहूँ

10. ट्रस्ट का स्वरूप :-

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में "सर्व जन सुखाय, सर्व जन हिताय" हेतु कार्य करेगा।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

उप 591 न्यासी 50 वि 25-5-18

निष्पादन लेखपत्रवाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उक्त

बात 590 न्यासी 1

श्री दिलीप कुमार जायसवाल, पुत्र श्री धितरंजन दास

निवासी: सदरगंज, कस्बामडियाह, प० त० मडियाह,

जौनपुर

व्यवसाय: कृषि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, पुत्र श्री बेधूराम गुप्ता

निवासी: मो० गंज, कस्बामडियाह, प० त० मडियाह,
जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2



श्री पवन कुमार निगम, पुत्र श्री श्यामबाबू निगम

निवासी: पीरकजरिया, कस्बामडियाह, प० त०
मडियाह, जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पवन कुमार निगम



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

अजय कुमार
उप निबंधक, मडियाह
जौनपुर



Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228578

4

11. लाभग्राही :-

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म, जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य विकास अथवा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट लाभ करेगी और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक व वनस्पतियों और प्राणियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

12. हितग्राही व्यक्ति :-

ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

13. ट्रस्ट का उद्देश्य :-

इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य, उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

क्र. 593 ... संख्या 50 ... दि. 25-5-18

नाम ... पिता ... माता ...

संख्या ... 590

नाम ...
...
... 16
...
...



Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228579

5

1. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा ट्रस्टी एक स्कूल, कालेज की स्थापना से लोगों में उच्च शिक्षा (चिकित्सा अस्पताल कार्य) का प्रचार-प्रसार एवं कोई अन्य क्षेत्र और चिकित्सालय चलाना, दवा सेण्टर खोलना, प्रौद्योगिक विद्यालय खोलना, शिक्षिकीय संस्थानों, तकनीकी, कानून (लॉ कालेज) तथा कानून प्रबन्धन, तकनीकी सूचना, कम्प्यूटर साफ्टवेयर/ हार्डवेयर संस्थान, मेडिकल संस्थान, भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) द्वारा संचालित सभी कोर्स का मान्यता प्राप्त कर संस्थान की स्थापना करना। बी०एड०, बी०टी०सी०, एन०टी०टी० संस्थान खोलना तथा अन्य सामाजिक कार्य उपलब्ध कराना। इन संस्थानों की सहायता से उ०प्र० की सामान्य जनता का हित अथवा इसके माध्यम से भारत के किसी कोने में लाभ पहुँचाने का प्रयास।
2. ट्रस्ट (न्यास) के द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति की खरीददारी और देख-भाल, उक्त ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य और कार्य स्थापना।
3. ट्रस्ट (न्यास) के द्वारा फीस उपलब्ध कराना, किताबों, निःशुल्क आरोग्यशास्त्र और योग्य छात्र-छात्राओं को अनुदान।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228580

6

4. सेमिनारों का आयोजन/ वर्कशॉप्स और छात्रों के लिए ट्यूशन और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित कल्चर प्रोग्राम अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति की बच्चों के लिए विद्यालय खोलकर सहायता प्रदान करना।
6. ट्रस्टी (न्यासी) किसी भी उपहार, चन्दा, सहायता, अनुदान आदि को व्यक्तिगत रूप से निगमित अथवा सरकारी संस्थानों अथवा अन्य किसी माध्यमों से भारत या इसके बाहर विदेशों से ट्रस्टी के पक्ष में जो ट्रस्ट (न्यास) के हित में हो, उसे स्वीकार कर सकता है।
7. ट्रस्टी (न्यासी) फण्ड की आय के अलावा सहायता अनुदान, चन्दा आदि से जो लिये गये। ट्रस्ट संस्थान के प्रबन्धन का समस्त व्यय वहन करेगा। बिल्डिंग की स्थापना और निम्न उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करेगा।
8. विकलांग, मूक, बधिर, नेत्रहीन, मानसिक मन्द, शारीरिक विकलांग एवं गरीब बालक, बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन करना तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228581

7

9. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
10. गरीब बालिकाओं/ महिलाओं के लिए कढ़ाई-बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क केन्द्रों की स्थापना करना।
11. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण व वृक्षों की संरक्षण करना।
12. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
13. जनसंख्या नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक युवतियों का अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
15. उम्रदराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
16. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ चिकित्सालयों/ अस्पतालों की स्थापना करना।



Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228582

8

17. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
18. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रीय बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस-बी के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
19. बंजर भूमि, ऊसर, क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
20. असहाय एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धा आश्रम, कुष्ठ रोग आश्रम एवं सांस्कृतिक केन्द्र एवं असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन की स्थापना करना।
21. लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कुशल कारीगर हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
22. रोजगार परक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन जनशिक्षा संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना एवं आधुनिक कृषि तकनीकी बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।
23. गरीब बच्चों के लिए अनावासी, आवासीय विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



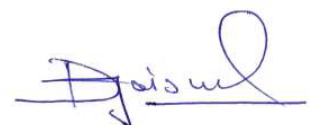
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228583

9

24. ग्रामीण बेरोजगार युवक, युवतियां को स्वावलम्बन बनाने हेतु ईट भट्टा, टाइल्स भट्टा, सीमेन्ट ईट, लौह उद्योग, दाल मिल, चावल मील, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का प्रशिक्षण की स्थापना करना।
25. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र/छात्राओं निःशुल्क पुस्तकीय सहायता समाचार तथा आध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना।
26. भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धन जानकारी पैदा कराना। बाल श्रमिक विद्यालय संचालन कर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
27. समाज में फैली कुसृष्टियों जैसे- तलाक, दहेज प्रथा, जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।
- 14- ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति :-
ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के दस्तावेज में उल्लिखित सभी ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति में पदरिक्त होने पर ट्रस्टी के वंशज का उत्तराधिकारी होगा।





Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228584

10

15. प्रबन्ध समिति के उत्तरदायी पद :-

ट्रस्टी प्रबन्धक व ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होंगे। ट्रस्टी प्रबन्धक ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

16. ट्रस्ट की सदस्यता :-

ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित होगी-

(1) संस्थापक ट्रस्टी :-

इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जिन्हें किसी प्रकार का रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी प्रबन्धक अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल कार्यकारी ट्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं।

(2) मुख्य ट्रस्टी :-

दिलीप कुमार जायसवाल पुत्र चितरंजन दास मुख्य ट्रस्टी होंगे।

(3) सहयोगी ट्रस्टी :-

प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र चितरंजन दास सहयोगी ट्रस्टी होंगे।

Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 228585

11

(4) ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति :-

पागल होने पर, मृत्यु होने पर, किसी न्यायालय से सजा पाने पर, त्याग पत्र देने पर, या ट्रस्ट के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर, सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

17. प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
- (2) ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु चल- अचल सम्पत्ति खरीदना, बेचना, रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना, अनुदान देना, ऋण देना आदि।
- (3) किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार कार्यक्रम के संचालन हेतु अधिकार प्रदान करना व उसको मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 442229

12

- (4) ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों / उपसमितियों का गठन करना उसके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
- (5) ट्रस्ट के द्वारा मुख्य आफिस के अलावा शाखाएं स्थापित करना, ट्रस्ट द्वारा गठित समिति संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक-पृथक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक में खाता खुलवाना और बन्द कराना या परिवर्तित करना।
- (6) ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए, वाद विवाद के समय न्यायालय में पैरवी करने के लिए व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जाँच पड़ताल के लिए समिति का गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
- (7) वार्षिक आय - व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह संग्रहीत धन की पूँजी और इसकी बचत का उपयोग ट्रस्ट के हित लगाने का आझा है।
- (8) ट्रस्ट सार्वजनिक रूप से धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक, सरकारी, क्षेत्रीय अथवा केन्द्रीय सरकार और खासकर आयकर अधिनियम धारा 11 की उपधारा 5 जो

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 442230

13

सीधे ऐक्ट नियम के बराबर है जो कि समय-समय पर संशोधित होता रहता है।

(9) ट्रस्टी किसी उपहार, चन्दा, सहायता, अनुदान आदि को व्यक्तिगत रूप से ले सकता है और दे सकता है। सरकारी संस्थाओं अथवा अन्य संस्थाओं के भारत और इनके बाहर ट्रस्टी के पक्ष में जो ट्रस्टी के हित में हो स्वीकार कर सकता है।

(10) ट्रस्टी फण्ड के अलावा सहायता, अनुदान, चन्दा आदि जो ट्रस्टी द्वारा बिल्डिंग स्थापना, संस्थान के प्रबन्धन और उसके संचालन में व्यय करेगा।

18- ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

आवश्यकतानुसार ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत किया जायेगा और उसमें लिये गये निर्णय को क्रियान्वित करने के प्रबन्ध समिति/ट्रस्टी के विवेक पर निर्णय करेगा।

19- संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

किसी भी ट्रस्टी की रिक्त पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के परिवार के वंशानुगत क्रम में वैध मानी जायेगी।

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 442231

14

20- ट्रस्ट रिकार्ड या अभिलेख :-

कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, सदस्यता रजिस्टर, रसीदबुक, पासबुक, चेक बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड में होंगे।

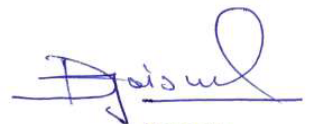
21- अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी उस परिस्थिति में प्रमाणित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन अध्यक्ष के नाम से प्रस्तुत करना पड़ेगा और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

22- वाद तथा प्रतिवाद :-

समस्त प्रकार के वाद विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद जौनपुर उ0प्र0 रहेगा। ट्रस्ट द्वारा दूसरे ट्रस्टों पर दायर विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार वादों- प्रतिवादों के पैरवी के





Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 442232

15

लिए व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानून सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

23- परियोजनाओं/ संस्थाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता :-

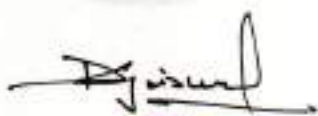
ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए प्राथमिक संस्थान से लेकर उच्च शिक्षा जैसे डिग्री कालेज, बी०एड०, डी०एड० विशेष बी०एड०, डी०ए० डिप्लोमा, एन०टी०टी० एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो भारत के किसी भी प्रान्त जिले, तहसील, ब्लाक व ग्रामों में चलाई जायेगी।

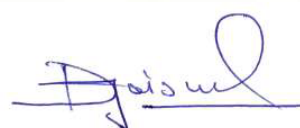
24- ट्रस्ट के कोष का रख-रखाव :-

ट्रस्ट के खातों का संचालन किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोलकर संचालन प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

25- पदों का सृजन :-

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रबन्ध समितियों की गठन करके पदाधिकारियों को मनोनीत कर सकता है।



Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

93/



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

56AD 211701

नोट:- पन्ना 2 के सतरा ८ में शब्द 'सुजन' जायसवाल (सचिव) हाथ से लिखा गया है व पन्ना 3 के सतरा ८ में क्रम संख्या 6 सुजन जायसवाल श्री भजन कुमार सचिव शिक्षा सहायक गठियाहू हाथ से लिखा गया है जो सही है।

[Signature]



ग/० अराविन्द कुमार मुखिया डा/० बंसू राम मुखिया
मोठ-गंज, पो. गठियाहू जौनपुर
अराविन्द कुमार मुखिया

ग/० प्रबल कुमार निगम डा/० श्री अशोक बाबू निगम
मो. वीरजकारिया गठियाहू, जौनपुर
प्रबल कुमार निगम



[Signature]

Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

प्राप्त विक्रय की रकम
प्राप्त राशि
प्राप्त दिनांक
प्राप्त की प्रकृति

2019-5-17

137

इंदिरा प्रभु गणेशदा उ

रम! मिररंज ए

उ. सहाय

व. प्र. प्र.

10



[Signature]

Manager
Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 442233

19

26- ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियाँ :-

ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्तियों का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का होगा तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमुख मालिक ट्रस्ट के वंशानुगत होंगे।

श्री चितरंजन दास श्रीमती कमला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हेतु रु0 10000/- (दस हजार रुपया) नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा। अतः यह ट्रस्ट नामाभिलेख आज दिनांक को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उद्घोषित किया जा रहा है।

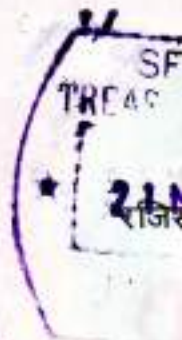
अधिवक्ता-शहचन्द्र विहारी एसकेके
रजि0सं0- UP 4436/91

हस्ताक्षर ट्रस्टी/न्यासकर्ता

दिलीप कुमार जायसवाल
पुत्र श्री चितरंजन दास
मोहल्ला-सदरगंज, पोस्ट-मड़ियाहूँ,
तहसील- मड़ियाहूँ,
जनपद- जौनपुर (उ0प्र0)

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 36 पृष्ठ 199 से 232 तक क्रमांक 40 पर दिनांक 29/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

महाराष्ट्र सरकार
जिल्द संख्या 10
निलेख संख्या 60



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार

उप निबंधक : मड़ियाहू

जौनपुर



[Signature]

Manager

Shree Chitaranjan Convent School
Mariyahun - Jaunpur